-: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर) :-

पीठासीन अधिकारी :- श्रीमती अंशुल आमेरिया (आर. ए. एस.)
राजस्व वाद संख्या :- 70/2021

उनवान

रामकरण पुत्र रामदेव जाति यादव निवासी ग्राम श्रीनगर, नसीराबाद
--- प्रार्थी :- जरियें अधिवक्ता श्री जितेन्द्र गुर्जर

बनाम

राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद।
-- अप्रार्थी :- जरियें राज0 परोकार

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 131 भू राजस्व अधिनियम 1956

-: आदेश :- दिनांक :- 6.12.22

अधिवक्ता प्रार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि कि ग्राम व प0म0 श्रीनगर तहसील नसीराबाद में स्थित भूमि का विवरण निम्न प्रकार है :

वंकिंग ख0न0	रकबा	हाल ख0न0	रकबा	वि0वि0
867	4-7-0	1373	0.70	प्रार्थी की खातदारी
866	6-14-0	1373/8319	0.38	अप्रार्थी संख्या की
		1374	1.80	खातदारी

वंकिंग खसरा नम्बर 867 रकबा 4-7-0 हाल खसरा नम्बर 1373 की आराजी प्रार्थी की क्रयशुदा है। उक्त आराजी का प्रार्थी द्वारा औधोगिक संपरिवर्तन करवाया गया है तथा हाल राजस्व अभिलेख में उक्त आराजी औधोगिक संपरिवर्तित होकर प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज है। इसी प्रकार वंकिंग खसरा नम्बर 866 रकबा 6-14-0 के हाल खसरा नम्बर 1373/8319 रकबा 0.29 व 1374 रकबा 1.80 की आराजी अप्रार्थी के खाते में सिवायचक दर्ज है। जो राजस्व अभिलेख में सही रूप से दर्ज है। वंकिंग खसरा नम्बर 866 व 867 का वंकिंग मानचित्र सही था जिसमें उक्त दोनो खसरा नम्बर राजमार्ग से लगते हुये दर्शाये हुये है। वंकिंग मानचित्र व मौके में उक्त दोनो खसरा नम्बर एक दूसरे से लगते हुये है। किन्तु हाल राजस्व मानचित्र बनाते समय वंकिंग खसरा नम्बर 867 के हाल खसरा नम्बर 1373 रकबा 0.70 का पूर्व मानचित्र अनुसार दर्शाने के बजाय त्रुटिपूर्ण तरीके से अंकित कर दिया तथा वंकिंग खसरा नम्बर 867 [illegible] थी को राजमार्ग से दूर अंकित कर दिया। वंकिंग खसरा नम्बर 866 को दो [illegible] नम्बर 1373/8319 व 1374 में बांट दिया तथा दोनो खसरा न[illegible] अंकित कर दिया। प्रार्थी के खातेदारी खसरा नम्बर 1373 को [illegible] 8319 के पास राजमार्ग [illegible] अंकित कर दिया तथा प्रार्थी के खातेदारी खसरा नम्बर की [illegible]ति राजस्व मानचित्र [illegible]त कर

--2

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshul Aameria
Date: 2024.01.08 13:40:22 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

दी। जबकि खसरा नम्बर 1373 वंर्किंग खसरा नम्बर 867 से बना होने के कारण इसकी आकृति वंर्किंग खसरा नम्बर 867 के अनुरूप ही हाल राजस्व मानचित्र में दर्ज करनी चाहिए थी। किन्तु हाल राजस्व मानचित्र में प्रार्थी की खातेदारी आराजी को राजमार्ग से दूर अंकित कर दिया जिस कारण प्रार्थी के हितों पर विपरित प्रभाव पड़ा है। प्रार्थी द्वारा हाल राजस्व मानचित्र में दुरुस्ती हेतु उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा है। प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों अनुसार हाल नक्शे में दुरुस्ती करने के आदेश पारित करते हुए तहसीलदार नसीराबाद को उक्तानुसार राजस्व मानचित्र में दुरुस्ती करने हेतु आदेश पारित किये जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। रा.रा. पैरोकार ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि वर्किंग व हाल नक्शा की तुलना करने पर हाल खसरा नम्बर 1373 की स्थिति खसरा संख्या 1373/7745 की जगह बनती है, क्यों कि खसरा नम्बर 1373 का मिलान खसरा संख्या 867 है। खसरा नम्बर 1373/7745 वर्किंग खसरा नम्बर 538 कि स्थिति वर्तमान नक्शे के अनुसार हाल खसरा नम्बर 1374 के उत्तर की तरफ बनती है। हाल खसरा संख्या 1373 के काश्तकार का कब्जा भी 1373/7745 की जगह पर ही है, खसरा नम्बर 1373/7745 के खातेदारों का कब्जा वहा नहीं है।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी व रा.रा. पैरोकार के तर्कों पर मनन किया। ग्राम व प0म0 श्रीनगर तहसील नसीराबाद के हाल खसरा नम्बर 867 रकबा 0.70 की आराजी प्रार्थी की खातेदारी की है। इसी प्रकार हाल खसरा नम्बर 1373/8319 व 1374 की आराजी अप्रार्थी के खाते में मियादक दर्ज है। वर्किंग खसरा नम्बर 866 व 867 दोनो वर्किंग मानचित्र में राजमार्ग से लगते हुए स्थित थे। हाल राजस्व मानचित्र में प्रार्थी की खातेदारी वर्किंग खसरा नम्बर 867 के हाल खसरा नम्बर 1373 को राजमार्ग से दूर त्रुटिपूर्ण तरीके से अंकित कर दिया है जबकि उक्त खसरा नम्बर को पूर्व मानचित्र की भांति हाल खसरा नम्बर 1373/7745 के स्थान पर अंकित करना चाहिए था। हल्का पटवारी की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी का कब्जा खसरा नम्बर 1373/77545 की जगह पर ही है। हाल खसरा नम्बर 1373 को पूर्व मानचित्र अनुसार ही दर्शाना था। प्रकरण में उपलब्ध राजस्व अभिलेख व मौका रिपोर्ट अनुसार वर्तमान इन्द्राज त्रुटिपूर्ण सिद्ध होता है। प्रकरण में प्रार्थना पत्र का कोई खण्डन नहीं है। **भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 के अन्तर्गत भू प्रबन्ध कार्यवाही समाप्त होने के बाद राजस्व मानचित्र को अदिनांक व सही रखने एवं पायी गयी त्रुटि दुरुस्त करने का कर्तव्य भू अभिलेख अधिकारी का है।** प्रस्तुत प्रकरण में हाल राजस्व मानचित्र दुरुस्त होने से अप्रार्थी के हितो पर कोई विपरित प्रभाव नहीं पड़ेगा। हाल व पूर्व राजस्व मानचित्र के अवलोकन से भी वर्तमान नक्शा त्रुटिपूर्ण सिद्ध होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र "**स्वीकार**" किया जाता है। ग्राम श्रीनगर के हाल खसरा नम्बर 1373 पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र "**स्वीकार**" किया जाता है। हाल राजस्व मानचित्र में खसरा नम्बर 1373 को वर्किंग मानचित्र अनुसार वर्किंग खसरा नम्बर 867 के स्थान पर हाल खसरा नम्बर 1373/7745 के स्थान पर अंकित किया जावे। हाल खसरा नम्बर 1373/7745 को वर्तमान मानचित्र में अंकित स्थान के बजाय पूर्व वर्किंग मानचित्र के स्थान पर अंकित किया जावे। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में दुरुस्ती करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

आदेश सर इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshul Aameria
Date: 2024.01.08 13:40:22 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद